



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580

क्रमांक-18 / छगसं. / प्रकाशन / 2022

नवा रायपुर, दिनांक 04 / 04 / 2022

बसों (सिटी/निजी बस)के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा बसों (सिटी/निजी बस) के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु निर्धारित प्रारूप में समस्त वांछित दस्तावेजों सहित पूर्ण भरे हुए निविदा ऑनलाइन माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रारूप एवं नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है :-

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 1,180 /- (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 1,00,000 /- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
प्रि-बिड	दिनांक 19 / 04 / 2022 समय दोपहर 3:00 बजे (छत्तीसगढ़ संवाद भवन के प्रथम तल में स्थित बैठक कक्ष में आयोजित होगी)
निविदा में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	दिनांक 10 / 05 / 2022 समय 2:00 बजे अपरान्ह तक
ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 / 05 / 2022 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की अंतिम तिथि	दिनांक 10 / 05 / 2022 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

बसों (सिटी/निजी बस) के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।
2. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र :-
शासन की विभिन्न विभागों, निगम, मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है।
3. इम्पैनलमेंट हेतु नियम एवं शर्तें:-
निविदाकर्ता फर्मों को टेक्निकल बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना है :-
 - (1) पैन कार्ड की प्रति।
 - (2) Assessment Year 2020-21 एवं 2021-22 का आयकर रिटर्न की प्रति।
 - (3) Financial Year 2020-21 एवं 2021-22 के सी.ए. से सत्यापित टर्नओवर प्रमाण-पत्र। दो वर्षों का औसतन न्यूनतम टर्नओवर रु. 10 लाख होना अनिवार्य है।
 - (4) निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 1,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name	: Chhattisgarh Samvad
Bank Name	: Axis Bank Ltd.
Branch Name	: Pandri, Raipur (C.G.)
Saving Account No.	: 139010100021669
IFSC Code No.	: UTIB0000139
4. फर्मों के पास बसों (सिटी/निजी बस) में विज्ञापन करने की अनुमति नगरपालिक निगम/अर्बन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सोसायटी से होना अनिवार्य है।
5. निजी वाहन मालिकों के पास परिवहन विभाग द्वारा जारी परमिट जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निजी बस मालिकों के पास स्वयं के स्वामित्व में कम से कम 10 बस होना अनिवार्य हैं एवं रूट चार्ट प्रस्तुत करना होगा। जो बसे अधिकतम दूरी तय करती है उसको कार्यादेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

7. निजी बस संचालकों को विज्ञापन आबंटन होने पर क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय एवं संबंधित कार्यालय नगर पालिक निगम से विज्ञापन प्रसारण की अनुमति एवं तय कर जमा करना अनिवार्य होगा।
8. छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में फर्म को निर्धारित प्रारूप में राशि रु. 50/— के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है।
9. छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> में निविदा के टेक्नीकल बिड में वांछित दस्तावेज एवं फाईनेन्शियल बिड ऑनलाईन जमा किया जाना है। साथ ही ऑनलाईन जमा किये जाने वाले टेक्नीकल बिड के दस्तावेजों की हार्डकापी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय –तल में स्थित कक्ष क्र. SF-10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।
10. निविदाकार द्वारा बसों में विज्ञापन हेतु NGT(National Green Tribunal) एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोई भी प्रतिबंधित मटेरियल नहीं उपयोग किया जाना है। यदि बस में विज्ञापन के समय संबंधित एजेन्सी या बस मालिक इस प्रकार के कोई भी शासन द्वारा प्रतिबंधित मटेरियल उपयोग किये जाने पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निविदा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
11. निविदा आमंत्रण का उद्देश्य दर निर्धारण एवं पैनल तैयार करने के लिए है।
12. दरें आमंत्रित करने के पश्चात् स्वीकृत दरों वाली एजेंसियों का पैनल बनाई जायेगी। बस के विज्ञापन कार्य पैनल में शामिल बस मालिक या एजेंसियों से न्यूनतम दर पर कराया जाएगा। यदि कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति का हो या न्यूनतम दर वाली एजेंसी कार्य न कर पाने की स्थिति में हो तो पैनल में शामिल अन्य एजेंसी या बस मालिक से उनकी क्षमता गुणवत्ता तथा कार्य स्थिति के अनुसार न्यूनतम दर पर कार्य कराया जा सकेगा।
13. समय सीमा व वांछित गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संवाद गठित समिति या संवाद /विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से परीक्षण कराया जायेगा। कार्य वांछित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने कमी का आंकलन कर उसके अनुरूप देयक से राशि कटौती कर भुगतान किया जावेगा। गुणवत्ता या कार्य में गंभीर खामियां हाने पर देयक का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं L1 एजेंसी द्वारा कार्य नहीं करने पर सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी और संबंधित एजेंसी को आगामी तीन वर्ष के लिए काली सूची में डाला जाएगा।
14. दो माह का कार्यादेश पर एक माह की दर से दो माह का अनुपातिक गणना कर भुगतान किया जायेगा तथा चार एवं पांच माह का कार्यादेश पर तीन माह के लिये प्राप्त दर में अनुपातिक दर पर गणना कर चार एवं पांच माह का भुगतान किया जायेगा। इसी प्रकार सात माह एवं अधिक के लिये कार्यादेश प्राप्त होने पर छः माह के लिये प्राप्त दर पर गणना कर अनुपातिक रूप से भुगतान किया जायेगा।

15. कार्य पूरा करने के पश्चात् संबंधित विभाग से संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र बसों के विवरण के साथ लगाए गए विज्ञापन की सूची एवं छायाप्रति (2 –2 प्रतियां में) के साथ देयक प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभाग से निरीक्षण कर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
16. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित दरें निविदा अनुमोदन तिथि से आगामी दो वर्षों के लिए मान्य होगी इसके पश्चात् अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
17. निविदा में अंकित दरें एवं शर्तों को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा शिथिल करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
18. एजेन्सी द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है।
19. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :-**किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580

बसों (सिटी/निजी बस)के माध्यम से राज्य शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव :-

क्र.	माध्यम	अवधि	दर प्रति वर्गफीट प्रति माह प्रति बस (प्रिंट मटेरियल एवं माउंटिंग सहित) दर	डिजाईन परिवर्तन होने पर अतिरिक्त प्रति वर्गफीट की दर (प्रिंट मटेरियल एवं माउंटिंग सहित)
1	बस-सिटी बस	7 दिन		
		15 दिन		
		1 माह		
		3 माह		
		6 माह		
2	बस- निजी बस	7 दिन		
		15 दिन		
		1 माह		
		3 माह		
		6 माह		

टीप : उपरोक्त दरों के अलावा शासन द्वारा लागू जीएसटी अतिरिक्त देय होगा।

स्थान _____

दिनांक _____

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

सील मुद्रा

(रु. 50 /- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं—संस्था प्रमुख निवासी—छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था — किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान —

दिनांक —

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर